न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 143/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. किरतसिंह उर्फ राना किरतसिंह मानुभा पुत्र मानसिंह उर्फ राना मानुभा जाति राजपूत निवासी सरदारसमंद, हाल— ब्लोक 203, अक्षरदीप अपार्टमेन्ट—ए, जालाराम—3, गली नंबर 2, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट गुजरात।	1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री खेतसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 11.09.2019

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सरदार समंद, तहसील सोजत में वादी की खातेदारी सुदा एवं कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 698 रकबा 3.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 4.64 एवं खसरा नंबर 702 रकबा 4.55 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जिसके गत खसरा नंबर 254/2, 255, 256, 257/1 की वाके स्थित है, जिस पर वादी अपने समझ समझाईस से निरन्तर आज दिन तक शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चला आ रहा है। दौराने रिवाईज्ड सेटलमेंट वादी ने ए0आर0ओ0 जोधपुर के समक्ष वादस्थ कृषि भूमि में बतौर खातेदार नाम दर्ज करने हेतु उजरदारी प्रस्तुत की, जिसमें वादी ने अपना नाम किरतसिंह पुत्र मानसिंह लिखा था, परन्तु सहवन से आदेश दिनांक 07.06.1979 में वादी का नाम किरतसिंह पुत्र भारतसिंह लिख दिया, जो एक मानवीय भूल अथवा चुक है। परिणाम स्वरूप वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में किरतसिंह पुत्र भारतसिंह दर्ज कर दिया, जो गलत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा कालान्तर में वादी राजकोट गुजरात में रहने लगे, जहां गुजराती परम्परा एवं रीति रिवाज अनुसार वादी का नाम राजकीय परिचय पत्रों में राना किरतसिह मानुभा दर्ज चला आ रहा है। राना वादीया का उपनाम है तथा वादीया के पिता का नाम मानसिंह होने से नाम के आगे रिवाज अनुसार मानुभा दर्ज हैं। अतः वादस्थ कृषि भूमि में बतौर खातेदारी वादी अपना नाम राना किरतसिंह मानुभा पुत्र राना मानुभा जाति राजपूत निवासी सरदारसमन्द हाल राजकोट दर्ज करने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वाद में तहसीलदार सोजत को भूमिधाराक होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है, उनके विरूद्ध किसी तरह की ईश्तदुआ नहीं चाही गई है। बिनायदावा दिनांक 04.10.2018 एवं पूर्व में भी कई मर्तबा वादी द्वारा वादस्थ कृषि भूमि पर कृषि ऋण लेने की कार्यवाही करने पर जमाबन्दी एवं राजकीय परिचय पत्रों में नाम की भिन्नता पाये जाने पर ऋण इत्यादि हेतु अयोग्य करार देने से उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद अवधि पेश किया है। वादस्थ कृषि भूमि मौजा सरदारसमन्द तहसील सोजत में स्थित होने एवं वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की, कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार राना किरतसिह मानुभा पुत्र राना मानुभा जाति राजपूत निवासी सरदारसमंद हाल राजकोट दर्ज करने की घोषणा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

जाकर इन्द्राज किये अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 दिनांक 04.09.2019 को पेश किया। कि वादस्थ कृषि भूमि मौजा सरदार समंद में स्थित होना स्वीकार किया है। वाद–पत्र में वर्णित अन्य पैराज में वर्णित तथ्यों को वादी द्वारा स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने का अंकन किया है। प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादी को आज दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, जमाबन्दी सम्वत् 2043–47, भू–प्रबन्ध विभाग सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर की निर्णित पत्रावली संख्या 257/68 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.1979 उक्त न्यायालय में प्रस्तुत उज्र/प्रा0 पत्र दिनांक 02.11.78 में प्रार्थी/उज्रदार में किरतसिंह पुत्र मानसिंह, भारतसिंह पुत्र मानसिंह, कौम राजपूत सा0 सरदारसमंद, तह0 सोजत, अंकित है, तथा दोनो के पृथक–पृथक हस्ताक्षर अंकित है तथा वादी के आधार कार्ड संख्या 534869200710 पेश किया, सा0 मिसल है। उक्त आधार कार्ड में वास्तविक रूप से राना किरतसिंह मानुभा पिता राना मानुभा दर्ज है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा वादी के पिता का गलत रूप से भारतसिंह मानवीय/सदभाविक चूँक/भूलवश अंकित कर दिया गया जबकि किरतसिंह के पिता का वास्तविक रूप से मानुभा (गुजराती में सम्बोधन) उर्फ मानसिंह होना बखूबी साबित होने से उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में किरतसिंह पुत्र मानुभा उर्फ मानसिंह दुरूस्त दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सरदार समंद तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0न0 698 रकबा 03.71 हैक्टर, ख0न0 699 रकबा 04.64 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 702 रकबा 04.55 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 12.90 हैक्टर किस्म बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूँक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम किरतसिंह पुत्र भारतसिंह के स्थान पर किरतसिंह पुत्र मानुभा उर्फ मानसिंह, कौम राजपूत सा0 देह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
किरतसिंह उर्फ राना किरतसिंह मानुभा पुत्र मानसिंह उर्फ राना मानुभा जाति राजपूत निवासी सरदारसमंद, हाल– ब्लोक 203, अक्षरदीप अपार्टमेन्ट–ए, जालाराम–3, गली नंबर 2, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट गुजरात।	1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 143/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सरदार समंद तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0न0 698 रकबा 03.71 हैक्टर, ख0न0 699 रकबा 04.64 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 702 रकबा 04.55 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 12.90 हैक्टर किस्म बा0अ0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूँक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम किरतसिंह पुत्र भारतसिंह के स्थान पर किरतसिंह पुत्र मानुभा उर्फ मानसिंह, कौम राजपूत सा0 देह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.09.2019 को जारी की गई।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

Scanned by CamScanner